**प्रकाशनार्थ अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**दाण्डिक अपील क्रमांक 1333/2017**

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक : 29.10.2025

निर्णय पारित करने का दिनाँक : 04.11.2025

रवि यादव, पिता तुलसीराम यादव, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी घारीपखना (मानपुर), थाना कटघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

**--- अपीलार्थी**

**विरुद्ध**

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: थाना प्रभारी, आदिम जाति कल्याण थाना, कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

**--- प्रत्यर्थी**

**एवं**

**दाण्डिक अपील क्रमांक 1372 /2017**

रॉकी उर्फ राखी यादव, पिता बाबूलाल यादव, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी घारीपखाना मानपुर, थाना कटघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

**--- अपीलार्थी**

**विरुद्ध**

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: थाना प्रभारी, थाना आजाक कोरबा, सिविल व राजस्व जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

**--- प्रत्यर्थी**

---

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री विमलेश बाजपेयी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से : श्री अंकुर कश्यप, उप–शासकीय अधिवक्ता

---

**युगलपीठ**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल**

**सी.ए.वी. निर्णय**

**संजय कुमार जायसवाल, न्यायमूर्ति**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. उपरोक्त दोनों अपीलें एक ही अपराध क्रमांक और निर्णय से संबंधित हैं, इसलिए,इनका निराकरण इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. (i) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन इस न्यायालय के दाण्डिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, अपीलार्थीगण ने विद्वान विशेष न्यायाधीश(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम), कोरबा (छ.ग.) द्वारा विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 13/2015 में दिनांक 31.07.2017 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय की वैधता, विधिमान्यता और उपयुक्तता को चुनौती देते हुए ये दाण्डिक अपीलें प्रस्तुत की हैं, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को निम्नानुसार दण्डित किया गया है:–

| दोषसिद्धि | दण्ड एवं जुर्माना |
|---|---|
| भारतीय दंड संहिता की धारा 363/34 के अधीन | 3 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹ 500/– का अर्थदण्ड; अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास। |
| भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अधीन | 5 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹ 500/– का अर्थदण्ड; अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम पर 4 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास। |
| भारतीय दंड संहिता की धारा 376(घ) एवं पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के अधीन<br><br>[यद्यपि,पोक्सो अधिनियम की धारा 42 के आलोक में, केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 376(घ) के अधीन ही दंडित/दंडादिष्ट किया गया है।] | 20 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹ 10,000/– का अर्थदण्ड; अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास। |
| समस्त दण्डादेशों को साथ–साथ चलाने हेतु निर्देशित किया गया है । | |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2.(ii) विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) और धारा 3(1)(xii) के अधीन दंडनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 18/04/2015 को, लगभग रात्रि 8:00 बजे, अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने पीड़िता (अ.सा.–4) को उसके वैध संरक्षकता की अनुमति या सम्मति के बिना उसके घर से मोटरसाइकिल पर ग्राम रवा ले गए। बुधपाल यादव के घर पर, अभियुक्त रॉकी उर्फ राखी ने उसके साथ बलपूर्वक बलात्संग किया। इसके बाद वे उसे ग्राम बिंझरा, फिर नुनैरा ले गए और अंत में ग्राम डुमरमुड़ा में छोड़कर फरार हो गए। तत्पश्चात, जब पीड़िता ने जीवन सिंह को सूचित किया, तो पीड़िता के पिता (अ.सा.–7) को अमरेश द्वारा सूचना मिली, जिसके बाद वे पीड़िता को वहां से ले

आए। कटघोरा थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर आजाक थाना में अपराध क्रमांक 03/2015 पंजीबद्ध किया गया। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। तैयार की गई स्लाइडों को रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया। साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए। घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया ।

4. विचारण के दौरान, अपराध साबित करने हेतु, अभियोजन ने कुल 13 साक्षियों का परीक्षण किया है और 29 दस्तावेज़ प्रदर्शित किए है। अपीलार्थीगण के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन के प्रकरण में उनके विरुद्ध प्रतीत परिस्थितियों से इनकार किया, स्वयं को निर्दोष बताया और झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया।

5. उभयपक्ष को सुनने के उपरांत, विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का आक्षेपित निर्णय पारित किया।

6. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पीड़िता (अ.सा.–4), अभियुक्त रॉकी उर्फ राखी यादव के साथ सम्मति प्रदान करने वाली पक्षकार थी, जो अपनी स्वेच्छा से उसके साथ विभिन्न स्थानों पर रही। अभियोजन वैध साक्ष्यों द्वारा यह साबित करने में असफल रहा है कि कथित घटना के समय पीड़िता अवयस्क थी और 18 वर्ष से कम आयु की थी। पीड़िता की जन्म तिथि साबित नहीं की जा सकी। पीड़िता द्वारा बताई गई जन्म तिथि, दाखिल–खारिज पंजी में दर्ज जन्म तिथि और अंकसूची में दर्ज जन्म तिथि के बीच विसंगति है। जिस शिक्षक ने दाखिल–खारिज पंजी में प्रविष्टि की थी, उनका परीक्षण नहीं किया गया है। पीड़िता के पिता भी पीड़िता की जन्म तिथि बताने में असमर्थ रहे हैं। अतः, यह साबित नहीं हुआ है कि घटना के समय पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की थी। ऐसी स्थिति में, उक्त अपराध को साबित नहीं माना जा सकता। अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि प्रश्नगत अपराध में अभियुक्त रवि यादव की कोई भूमिका नहीं रही है, यहाँ तक कि पीड़िता अभियुक्त रवि यादव को जानती भी नहीं थी। उसने उससे बात नहीं की थी, और न ही वह अभियुक्त रॉकी के साथ उसके कहने पर गई थी। पीड़िता ने अभियुक्त रवि यादव के विरुद्ध अपराध के संबंध में कोई कथन नहीं किया। अतः, उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि अपील स्वीकार की जाए, आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाए और अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को उन पर विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. दूसरी ओर , राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित है, जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा किया गया तर्क स्वीकार्य नहीं है, अतः अपीलें खारिज की जाए।

8. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

9. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि डॉ. श्रीमती बी. टिक्का (अ.सा.–8) द्वारा पीड़िता की चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्रदर्श पी–3) के अनुसार, पीड़िता के साथ संभोग किया गया था। अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्क के अनुसार, अब यह देखना होगा कि क्या विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष उचित है कि घटना के दिन पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क थी, और यह भी देखना होगा कि क्या इस प्रकरण में पीड़िता सम्मति प्रदान करने वाली पक्षकार थी?

**<u>आयु अवधारण</u>**

10. पीड़िता (अ.सा.–4) ने अपने न्यायालयीन कथन में अपनी जन्म तिथि 19/08/1998 बताई है, जबकि पुलिस ने प्रकरण में उसकी जन्म तिथि के संबंध में दो दस्तावेज़ प्रस्तुत किए। पहला दाखिल–खारिज पंजी (प्रदर्श पी–8ए) है, जिसमें पीड़िता की जन्म तिथि 30/08/1999 बताई गई है, और दूसरा 'अंकसूची' (वस्तु ए) है, जिसमें पीड़िता की जन्म तिथि 30/08/1998 बताई गई है। इस प्रकार, पीड़िता द्वारा बताई गई जन्म तिथि, दाखिल–खारिज पंजी में दर्ज जन्म तिथि और अंकसूची में दर्ज जन्म तिथि के मध्य विसंगति, पीड़िता की आयु के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य को पूर्णतया संदिग्ध बना देता है। यह भी उल्लेखनीय है कि पीड़िता का अस्थि जांच नहीं कराया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. पीड़िता (अ.सा.–4) ने अपनी जन्म तिथि 19/08/1998 बताई है, जबकि उसके पिता (अ.सा.–7) अपनी जन्म तिथि बताने में असमर्थ रहे और उन्होंने कथन किया कि उन्होंने गांव के कोटवार को पीड़िता के जन्म की सूचना दी थी, किंतु प्रकरण में किसी भी कोटवारी पंजी को प्रमाणित नहीं किया गया है। इस प्रकार, पीड़िता के पिता के कथन अभियोजन के इस प्रकरण का समर्थन नहीं करते कि घटना के समय पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क थी।

12. दाखिल–खारिज पंजी (प्रदर्श पी–8ए) और अंकसूची (वस्तु ए) के संबंध में, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रवा की प्राचार्य श्रीमती सी. किंडो (अ.सा.–5) ने कथन किया कि दाखिल–खारिज पंजी (प्रदर्श पी–8ए) में दर्ज पीड़िता की जन्म तिथि 30/08/1999 थी। उस तिथि से गणना करने पर, घटना के समय पीड़िता की आयु लगभग 16 वर्ष प्रतीत होती है। श्रीमती सी. किंडो ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि दाखिल–खारिज पंजी में पीड़िता का विरुद्ध उनकी हस्तलिपि में नहीं है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दाखिल–खारिज पंजी 2011 में शुरू किया गया था, जिसमें कक्षा 9 वीं और 10 वीं के छात्रों का पंजीकरण किया गया था। पीड़िता ने स्वयं कथन किया कि वह घटना के समय कक्षा 9 वीं में अध्ययन कर रही थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दाखिल–खारिज पंजी प्राथमिक विद्यालय की पंजी नहीं है, बल्कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की पंजी है।

13. दाखिल–खारिज पंजी को किस प्रकार सुसंगत माना जाता है, यह विषय माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष **बबलू पासी विरुद्ध झारखंड राज्य व एक अन्य (2008) 13 एससीसी 133** में विचार हेतु आया था, जिसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:–

"22. यह सुस्थापित है कि किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए कोई अमूर्त सूत्र निर्धारित करना न तो व्यवहार्य है और न ही वांछनीय। जन्म तिथि का अवधारण अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की विवेचना के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति की आयु के संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य, यद्यपि एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक कारक है, किंतु यह निश्चायक नहीं है और इस पर अन्य ठोस साक्ष्यों के साथ विचार किया जाना चाहिए।

28. यह एक स्थापित विधिक सिद्धांत है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अधीन किसी दस्तावेज़ को स्वीकार्य बनाने के लिए तीन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, अर्थात्: (i) जिस प्रविष्टि पर भरोसा किया गया है, वह किसी सार्वजनिक या अन्य आधिकारिक किताब, पंजी या अभिलेख में होनी चाहिए; (ii) यह प्रविष्टि किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का कथन करने वाली होनी चाहिए; और (iii) यह प्रविष्टि किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में, या विधि द्वारा विशेष रूप से सौंपे गए कर्तव्य के पालन में की गई होनी चाहिए। शाला पंजी में दर्ज जन्म तिथि से संबंधित प्रविष्टि अधिनियम की धारा 35 के अधीन सुसंगत और स्वीकार्य तो है, किंतु उस सामग्री की अनुपस्थिति में जिसके आधार पर वह आयु दर्ज की गई थी, शाला पंजी में किसी व्यक्ति की आयु के संबंध में की गई प्रविष्टि का उस व्यक्ति की आयु साबित करने के लिए अधिक साक्ष्यिक मूल्य नहीं होता है। (देखें: बिराद मल सिंघवी विरुद्ध आनंद पुरोहित (1997) 4 एससीसी 24)।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सुनील विरुद्ध हरियाणा राज्य (2010) 1 एससीसी 742** प्रकरण में में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

"26. बिशन (अ.सा.–8), जो कि अभियोक्त्री के पिता हैं, वे भी अभियोक्त्री की सही जन्म तिथि बताने में असमर्थ रहे हैं। अपने कथन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे बिना किसी आधार या अभिलेख के एक अनुमानित तिथि बता रहे हैं। किसी भी दाण्डिक प्रकरण में, अपीलार्थी की दोषसिद्धि किसी ऐसी अनुमानित तिथि पर आधारित नहीं हो सकती जिसे किसी अभिलेख का समर्थन प्राप्त न हो। एक अनुमानित तिथि के आधार पर दोषसिद्धि करना काफी असुरक्षित होगा।

**34.** इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करने के बाद, अपीलार्थी को दोषी ठहराना असुरक्षित होगा क्योंकि अभियोजन के वृत्तांत में कई दोष,रिक्तियाँ एवं कमियाँ हैं। अपीलार्थी स्पष्ट रूप से संदेह के लाभ का हकदार है और फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो तो अपीलार्थी को अविलंब रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।"

15. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अलामेलु व एक अन्य विरुद्ध राज्य प्रतिनिधित्व द्वाराःपुलिस निरीक्षक (2011) 2 एससीसी 385** के प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः–

"स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जो किसी शासकीय विद्यालय द्वारा जारी किया गया हो और प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के अधीन साक्ष्य में स्वीकार्य होगा। यद्यपि, उस सामग्री के अभाव में, जिसके आधार पर वह आयु दर्ज की गई थी, ऐसे दस्तावेज़ की स्वीकार्यता का अभियोक्त्री की आयु साबित करने के लिए अधिक साक्ष्यिक मूल्य नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत यह निर्धारित किया कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि का तब तक कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं होगा, जब तक कि उस व्यक्ति का परीक्षण न किया जाए जिसने वह प्रविष्टि की थी या जिसने वह जन्म तिथि लिखवाई थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **माणक चंद उर्फ मणि विरुद्ध हरियाणा राज्य, 2023 एससीसी आनलाइन एससी 1397** के प्रकरण में **बिरद मल सिंघवी विरुद्ध आनंद पुरोहित, 1988 (सप्प.) एससीसी 604** के प्रकरण में अपने द्वारा प्रतिपादित विधि को दोहराया है और यह अवधारित किया है कि शाला पंजी में दर्ज जन्म तिथि का, प्रविष्टिकर्ता व्यक्ति या जन्म तिथि लिखवाने वाले व्यक्ति परिसाक्ष्य के बिना, कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं होगा। आगे यह पुनः दोहराया गया कि यदि जन्म तिथि माता–पिता द्वारा बताई गई है, तो उसका कुछ साक्ष्यिक मूल्य होगा, किंतु इसकी अनुपस्थिति में उसका अवलंब नहीं लिया जा सकता।

17. उपरोक्त उद्धृत निर्णयों के आलोक में, पीड़िता की आयु के संबंध में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्यों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट हो जाता है कि पीड़िता द्वारा बताई गई जन्म तिथि और दाखिल–खारिज पंजी (प्रदर्श पी–8ए) तथा उसकी अंकसूची (वस्तु ए) में दर्ज तिथि के मध्य विसंगति है। उसके पिता पीड़िता की जन्म तिथि उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे। प्राचार्य सी. किंडो (अ.सा.–5) ने कथन किया कि प्रदर्श पी–8ए में की गई प्रविष्टि उनकी हस्तलिपि में नहीं थी। यह भी स्पष्ट है कि कोई भी प्राथमिक शाला की पंजी प्रस्तुत नहीं की गई। श्रीमती सी. किंडो (अ.सा.–5) ने स्वीकार किया कि प्रविष्टि उसकी

कक्षा 8 वीं की अंकसूची और स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर की गई थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र में जन्म तिथि अंकित नहीं है। चूंकि उसके पिता (अ.सा.–7) भी पीड़िता की सटीक जन्म तिथि बताने में असमर्थ थे और यह स्पष्ट नहीं है कि पीड़िता की जन्म तिथि किस आधार पर लिखी गई थी, इस प्रकार, अभियोजन दाखिल–खारिज पंजी में दर्ज जन्म तिथि को उचित रूप से प्रमाणित करने में असफल रहा। उपरोक्त विस्तृत साक्ष्यों के आधार पर, यह न्यायालय पाता है कि अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि घटना के दिन पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क थी। इस संबंध में विचारण न्यायालय का निष्कर्ष अभिलेख पर प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों से असंगत है और इसलिए यथावत रखे जाने योग्य नहीं है।

**<u>सम्मति प्रदान करने वाली पक्षकार</u>**

18. पीड़िता (अ.सा.–4) ने अपनी मुख्य–परीक्षण में कथन किया कि अभियुक्त रॉकी उर्फ राखी उसके ग्राम में सड़क निर्माण के कार्य में ट्रैक्टर चलाया करता था और जब वह विद्यालय जाती थी, तब वह उससे बात किया करता था और उसे मिलने के लिए भी बुलाया करता था। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि अभियुक्त रॉकी उर्फ राखी के साथ उसके प्रेम संबंध विकसित हो गए थे। उसने उसे शाम करीब 7:00 बजे सड़क के पास मिलने के लिए बुलाया था। जब वह वहां गई, तो उसने कहा कि वह उसे लेने आया है। उसके बाद दोनों अभियुक्त उसे मोटरसाइकिल पर ग्राम रवा में बुधपाल यादव के घर ले गए, जहाँ अभियुक्त रॉकी उर्फ राखी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. पीड़िता (अ.सा.–4) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि वह अभियुक्त रवि यादव को नहीं जानती थी। उसने उससे कोई बात नहीं की थी, और वह उसके कहने पर वहां नहीं गई थी, बल्कि उसने उसे पहली बार गली में देखा था। इस प्रकार, पीड़िता ने अभियुक्त रवि यादव द्वारा किए गए किसी भी अपराध के संबंध में कोई कथन नहीं किया।

20. पीड़िता ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त रॉकी उर्फ राखी के साथ उसके प्रेम संबंध थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसे पहले मोटरसाइकिल पर ग्राम रवा ले जाया गया, जहाँ वह बुधपाल यादव के घर पर रुकी। फिर उसे बस से ग्राम बिंझरा ले जाया गया, जहाँ वह हेम सिंह के घर रुकी। उसके बाद उसे मोटरसाइकिल पर ग्राम नुनैरा ले जाया गया, जहाँ रॉकी उर्फ राखी को उसकी बहन के घर पर रखा गया था। फिर वह मोटरसाइकिल पर ग्राम नावा गया, जहाँ वह अभियुक्त रवि की बहन के घर पर रुका। इसके बाद वह उसे ग्राम डुमरमुड़ा ले गया और अभियुक्त रॉकी उर्फ राखी ने उससे कहा कि वह बस देखकर आता है और वह वहीं रुके, लेकिन अभियुक्त रॉकी उर्फ राखी वापस नहीं आया। उसके बाद वह पैदल ही ग्राम बिंझरा और गोदली पारा आई और अपने परिवार वालों को सूचित किया, जिसके बाद वे आए और उसे साथ ले गए।

21. पीड़िता ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि मोटरसाइकिल या बस से ले जाते समय वह न तो चीखी, न ही चिल्लाई, न ही सहायता के लिए किसी को पुकारा, न ही जाने से मना किया, और न ही शुरुआत में किसी को घटना की जानकारी दी। उसने यह भी कथन किया कि उसका अभियुक्त रॉकी उर्फ राखी के साथ प्रेम संबंध था, किंतु उसने उसे डुमरमुड़ा में अकेला छोड़ दिया, जिससे वह व्यथित हो गई और इसी कारण उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। इस प्रकार, पीड़िता का समग्र कथन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वह मुख्य अभियुक्त रॉकी उर्फ राखी के साथ सम्मति प्रदान करने वाली पक्षकार थी।

22. उपरोक्त विश्लेषण और संदर्भित निर्णयों के आलोक में, अपीलें **स्वीकार** की जाती हैं और दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किया जाता है।

23. अपीलार्थीगण जमानत पर हैं। उन्हें इस प्रकरण में अभ्यर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क के प्रावधानों के दृष्टिगत, उनके जमानत बंधपत्र छह माह की अवधि तक प्रभावशील रहेंगे।

24. इस निर्णय की एक सत्यापित प्रतिलिपि मूल अभिलेख सहित विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए तथा इस निर्णय की एक प्रतिलिपि संबंधित जेल अधीक्षक को भी सूचना और आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, हेतु अविलंब उपलब्ध कराई जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
**(संजय के.अग्रवाल)**
**न्यायाधीश**

सही/–
**(संजय कुमार जायसवाल)**
**न्यायाधीश**

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**